(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II) F. No. I-14011/12/2022-IPS-I (E) (I) Government of India

Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 21.11.2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of State Police Service of Mizoram to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint AGMUT Cadre (Mizoram Segment) under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2021

S1. No	Name of the Officer (S/Shri/Ms.)	Date of Birth
1.	Shri Dingluaia	01.03.1966

- The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.
- 3. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

(A. K. Saran) Joint Secretary (Police-I) Tel. 011-23093256

To

The Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi-110064 (Through e Gazette)

No. I-14011/12/2022-IPS.I (E) (I)

New Delhi, Date 21.11.2022

A copy each is forwarded to: -

- 1. Ministry of Home Affairs (Shri Rakesh Kumar Singh, Under Secretary (UTS I). North Block, New Delhi with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
- 2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - for information.
- 3. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
- 4. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link https://ips.gov.in/App_AGMUT_Mizoram.aspx.with under heading Select List 2021.

(Raman Kumar)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड II में प्रकाशनार्थ) संख्या. I-14011/12/2022-IPS I (इ) (I)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक: 21 .11.2022

<u>अधिसूचना</u>

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्त) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य पुलिस सेवा के निम्नितिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते है तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत अगमुट संवर्ग (मिजोरम खण्ड) प्रदान करते है:-

चयन सूची 2021

क्रमसं0	अधिकारियों के नाम) श्री/श्रीमती(जन्म तिथि
1.	डिंगलुइया	01.03.1966

- 1. उपर्युक अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5(4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारीयों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- 2. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

34 न र ने (ए. के. सरन) संयुक्त सचिय (पुलिस-I) दूरभाष- 011-23093256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली ।

सं. I-14011/12/2022-IPS I (इ) (I)

नई दिल्ली, दिनांक: 21.11.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

- 1. गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक (अवर सचिव ,श्री राकेश कुमार सिंह) नई दिल्ली- यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
- 2 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली
- 3. निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (NIC) को उपर्युक्तअधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेत। (Under https://ips.gov.in/App AGMUT_ Mizoram.aspx" under heading Select List 2021.

'(रॅमन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार